आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
3/11/2023	**उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।** R.M.R Case No. -03/2016-17 **शिबु महतो एवं अन्य 16 आना रैयत द्वारा मौजा–मधुबन की प्रतिनिधि बनाम हाकीम महतो एवं अन्य।** **आदेश** यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Rev.Misc Case No-106/2013-14 में दिनांक–07.11.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध रिवीजन दायर है। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Rev.Misc Case No-106/2013-14 में दिनांक–07.11.2014 को पारित आदेश के द्वारा मौजा–मधुबन के खाता सं0–68, दाग सं0–1075 कुल रकवा–2.06 एकड़ पुरातन पतित जमीन के अंश रकवा–0.42 भूमि जो कि श्याम महतो को अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय जामताड़ा के Settlement Case No-720/1969-70 में बंदोबस्ती प्राप्त था के 0.25 जमीन को खण्डित पाये जाने एवं शेष जमीन 0.17 एकड़ भूमि का खण्डित नहीं किये जाने के कारण संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 33 के तहत अवशेष 0.17 एकड़ जमीन से उच्छेद किया गया है। उभयपक्ष अनुपस्थित। उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अनुपस्थित। उभयपक्ष द्वारा संयुक्त सुलहनामा आवेदन दाखिल किया गया है। सुलहनामा आवेदन के अनुसार भी उभयपक्ष को सुनने की आवश्यकता नहीं है। उभयपक्षों को सूचना निर्गत किया गया। सूचना का तामिला प्राप्त है। वर्तमान में उभयपक्ष को वाद में रूची का अभाव प्रतीत होता है। अभिलेख में संलग्न रिवीजन आवेदन, निम्न न्यायालय के अंतिम आदेश का सत्यापित प्रतिलिपि एवं अन्य कागजातों का अवलोकन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Rev.Misc Case No-106/2013-14 में दिनांक–07.11.2014 को पारित आदेश के द्वारा मौजा–मधुबन के खाता सं0–68 दाग सं0–1075 कुल रकवा–2.06 एकड़ पुरातन पतित जमीन के अंश रकवा–0.42 भूमि जो कि श्याम महतो को अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय जामताड़ा के Settlement Case No-720/1969-70 में बंदोबस्ती प्राप्त था के 0.25 जमीन को जोत आवाद किये जाने एवं शेष जमीन 0.17 एकड़ भूमि का जोत आवाद नहीं किये जाने के कारण संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 33 के तहत अवशेष 0.17 एकड़ जमीन से उच्छेद किया जाना न्यायसंगत है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Rev.Misc Case No-106/2013-14 में दिनांक–07.11.2014 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए रिवीजन आवेदन खारिज किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। उपायुक्त, जामताड़ा। 3/11/2023 उपायुक्त, जामताड़ा। 3/11/2023	Seen Adv. 24/11/2023 Seen Adv 24/11/2023

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2023.11.29 09:21:21 +05:30
Location: 192.168.43.106